उत्तर प्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उ0प्र0 कैम्पा) कार्यपालक समिति की दिनांक 30.10.2023 को आयोजित नवीं बैठक का कार्यवृत्त

उत्तर प्रदेश कैम्पा कार्यपालक समिति की नवीं बैठक दिनांक 30.10.2023 को अपरान्ह्न 03.30 बजे प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश/अध्यक्ष, कार्यपालक समिति, उ0प्र0 कैम्पा की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में भाग लेने वाले कार्यपालक समिति के सदस्यों की सूची संलग्न है **(संलग्नक–1)**।

सर्वप्रथम, सदस्य सचिव, कार्यपालक समिति, उ0प्र0 कैम्पा द्वारा बैठक में उपस्थित कार्यपालक समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का शुभारम्भ किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियमित एजेंडा बिन्दुओं पर विचार–विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिए गए:–

एजेण्डा बिन्दु–1 :– उत्तर प्रदेश कैम्पा कार्यपालक समिति की 8वीं बैठक दिनॉक 12.12.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि किया जाना।

समिति द्वारा उ0प्र0 कैम्पा कार्यपालक समिति की आठवीं बैठक दिनॉक 12.12.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

समिति, गत् बैठकों में दिये गये निर्देशों (कार्यवृत्त) के अनुपालन की स्थिति से अवगत हुई तथा निम्नानुसार निर्देश निर्गत किये गये:–

1. (अ) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून से "Conducting studies from reputed University/ Organization/ Institutes on causes and remedies of man animal conflict." विषय पर कराये गये अध्ययन कार्यक्रम के सम्बन्ध में **समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ के स्तर से भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को उक्त विषय पर अध्ययन रिपोर्ट मे आवश्यक संशोधन करते हुये अन्तिम रिपोर्ट माह जनवरी, 2024 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।**

   (ब) फारेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया, कौलागढ़ रोड, देहरादून से "Conducting studies from reputed University/ Organization/Institutes regarding impact of plantations on ecological parameters." विषय पर कराये गये अध्ययन कार्यक्रम के सम्बन्ध में **समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि Terms of Reference के अनुसार फारेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया, कौलागढ़ रोड, देहरादून से अध्ययन रिपोर्ट अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा माह जनवरी, 2024 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।**

   स) वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून "Invasion Mapping of Prosopis juliflora and Lantana camara, Strategy for Invasion Eradication and Restoration of Degraded Forests in Uttar Pradesh." विषय पर कराये जा रहे **अध्ययन कार्यक्रम के सम्बन्ध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से समिति अवगत हुयी।**

2. उ0प्र0 कैम्पा द्वारा कराये जा रहे वृक्षारोपणों, जिन हेतु 7 से 10 वर्ष अनुरक्षण दिया जा रहा है, के सफलता मानकों का निर्धारण अभी तक न किये जाने पर समिति द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन सम्बन्धित जोनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 द्वारा अब तक अपने अधीनस्थ प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सफलता प्रतिशत की पुष्टि नहीं करायी गयी है, **ऐसे जोनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 से उक्त से सम्बन्धित संशोधित सूचना दिनॉक 15.11.2023 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।**

3. (क) प्रभागीय वनाधिकारी, पीलीभीत टाईगर रिज़र्व, पीलीभीत द्वारा वर्ष 2012 में शारदा कं0 03 में 1.012 है0 एवं है0 के अतिरिक्त 100 पौध कराये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण के असफल होने के सम्बन्ध में, **मुख्य वन संरक्षक,**

(ख) प्रभागीय वनाधिकारी, सोहेलवा वन प्रभाग में वर्ष 2012 में 5.60 है0 एवं वर्ष 2013 में 2.65 है0 में कराये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण के असफल होने के सम्बन्ध में **मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पूर्वी, गोण्डा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से समिति अवगत हुयी, परन्तु मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पूर्वी, गोण्डा द्वारा बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित न होने पर गहन अप्रसन्नता व्यक्त की गयी, इस सम्बन्ध में समिति द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।**

(ग) कैमूर वन्यजीव प्रभाग में वर्षाकाल 2016 में कराये गये 50.00 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के असफल वृक्षारोपण के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित स्थल पर गिरोह बन्द अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है इनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है, अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। तत्सम्बन्ध में **समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि प्रकरण में जिला प्रशासन से आवश्यक सहयोग प्राप्त कर चिन्हित स्थल को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाये तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थापित किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाय।**

(घ)(1) आगरा वन प्रभाग में वर्षाकाल 2017 में कराये गये 30.00 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के असफल वृक्षारोपण के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 कैम्पा की वर्ष 2023–24 की वार्षिक प्रचालन योजना के अन्तर्गत उक्त असफल वृक्षारोपण को सफल बनाने हेतु धनराशि रू0 51.03 लाख षष्टम वर्ष विशेष अनुरक्षण (तारबाड़, सिंचाई हेतु बोरिंग का प्राविधान) हेतु निर्गत धनराशि के सापेक्ष पुनः वृक्षारोपण करा लिया गया है तथा सुरक्षा व्यवस्था का कार्य भी करा दिया गया है। **तत्सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि आगरा वन प्रभाग में उक्तानुसार वृक्षारोपण को सफल बनाने हेतु किये गये वृक्षारोपण कार्यों का निरीक्षण अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा द्वारा कर लिया जाये तथा तद्‌नुसार रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा को उपलब्ध करा दी जाये।**

(घ)(2) प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ वन प्रभाग द्वारा वर्षाकाल 2011 (18.38 है0) एवं वर्षाकाल 2016 में (16.12 है0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा वर्षाकाल 2018 (12.87 है0), वर्षाकाल 2019 (74.844 है0) में गैर क्षतिपूरक वृक्षारोपण के असफल होने के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया। **तत्सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्षाकाल 2011 (18.38 है0) में कराये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण के नियमानुसार चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण में आने के फलस्वरूप अर्थात चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव वर्ष 2016 में प्रस्तावित होने के समय उक्त वृक्षारोपणों की सफलता सम्बन्धी रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा को उपलब्ध करा दी जाये। उक्त के अतिरिक्त वर्षाकाल 2016 में (16.12 है0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विभागीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कराते हुए सम्बन्धित रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा को उपलब्ध करा दी जाये।**

अन्य एजेण्डा बिन्दुः– उ0प्र0 कैम्पा से कराये जा रहे वृक्षारोपणों की सफलता निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के उदे्श्य से **समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के स्तर से निर्गत स्थायी आदेश का कड़ाई से पालन किये जाने के सम्बन्ध में समिति अवगत हुयी।**

एजेण्डा बिन्दु–2ः– **उत्तर प्रदेश कैम्पा का वर्ष 2022–23 का वार्षिक विवरण (Annual Report Year 2022-23) से समिति को अवलोकित कराते हुए अंगीकृत कराया जाना।**

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश कैम्पा वर्ष 2022–23 के वार्षिक विवरण (Annual Report) से अवलोकित होते हुए अंगीकृत किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–3ः– **उत्तर प्रदेश कैम्पा की वर्ष 2023–24 की वार्षिक प्रचालन योजना के सापेक्ष प्रगति सूचना से समिति को अवगत कराया जाना।**

उ0प्र0 कैम्पा कार्यपालक समिति वर्ष 2023–24 की वार्षिक प्रचालन योजना की प्रगति से अवगत हुयी।

एजेण्डा बिन्दु–4ः– **उ0प्र0 कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2019–20 तक के वार्षिक लेखों का कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा किये गये आडिट से समिति को अवगत कराया जाना।**

उ0प्र0 कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2019–20 तक के वार्षिक लेखों का कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा किये गये आडिट एवं उ0प्र0 कैम्पा कार्यालय को प्राप्त पृथक लेखापरीक्षा (Seprate Audit Report - SAR) को विधान मण्डल के पटल पर प्रस्तुत किये जाने हेतु उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जाने से समिति अवगत हुयी।

एजेण्डा बिन्दु–5:– **उ0प्र0 कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2022–23 (दिनॉक 31.03.2023) तक के वार्षिक लेखों का कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा किये गये आडिट से समिति को अवगत कराया जाना।**

उ0प्र0 कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2022–23 (दिनॉक 31.03.2023) तक के वार्षिक लेखों का कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा किये गये Compliance Audit से समिति अवगत हुयी।

अन्य एजेण्डा बिन्दुः– उ0प्र0 कैम्पा द्वारा कराये गये कार्यों की Third Party Monitoring के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–887/81–4–2023 दिनॉक 17.08.2023 द्वारा भारतीय वानिकी वन अनुसंधान, न्यू फारेस्ट देहरादून से प्राप्त सहमति Concept Note के अनुसार उ0प्र0 कैम्पा के विभिन्न मदों के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की Third Party Monitoring ICFRE-FRI से कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस सम्बन्ध में भारतीय वानिकी वन अनुसंधान, न्यू फारेस्ट देहरादून से Third Party Monitoring कराये जाने पर विस्तृत रूप से विचार–विमर्श किया गया, जिसमें उनके द्वारा उ0प्र0 कैम्पा के अन्तर्गत वर्ष 2011 से 2022 तक कराये गये क्षतिपूरक/गैर क्षतिपूरक वृक्षारोपण, कुल 80000 हे0 क्षेत्र की Third Party Monitoring हेतु रू0 1000.00 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रस्तावित की गयी है, जिस पर कुल अनुमानित धनराशि रू0 8.00 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।

उक्त के अतिरिक्त भारतीय वानिकी वन अनुसंधान, देहरादून द्वारा उ0प्र0 कैम्पा के अन्तर्गत अन्य मदों में कराये गये कार्यों (मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, ए0एन0आर0, अग्रपंक्ति कार्मिकों हेतु भवनों का निर्माण, वन्यजीवों का प्राकृतवास, नर्सरी आधुनिकीकरण हेतु सोलर वाटर पंप की स्थापना आदि) की Third Party Monitoring हेतु Concept Note में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। यदि उक्त मदों का भी Third Party Monitoring कराया जायेगा, तो अतिरिक्त धनराशि देय होगी।

भारतीय वानिकी वन अनुसंधान, देहरादून द्वारा उक्तानुसार प्रस्तावित दर अधिक होने के फलस्वरूप, समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उ0प्र0 कैम्पा के अन्तर्गत विभिन्न मदों में कराये गये कार्यों की गुणवत्तायुक्त Third Party Monitoring के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार के पत्र दिनॉक 20.01.2023 में यथा उल्लिखित **".....any of the relevant Autonomous Institutions viz. ICFRE, IIFM or any other technical institute not directly under the control of State Government."** के अनुरूप अन्य विकल्पों पर भी विचार कर लिया जाये तथा तद्ानुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष, उ0प्र0 कैम्पा कार्यपालक समिति को अवगत करा दिया जाये।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

अनुमोदित
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष उ0प्र0, लखनऊ

31/X/2023
(पी0पी0 सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य सचिव
कार्यपालक समिति, (उ0प्र0 कैम्पा), लखनऊ

पत्रांक– 341 /2–37–2 (कार्यपालक समिति–09) दिनांक अक्टूबरः 31 : 2023

प्रतिलिपि– उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, जनजातीय विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।

11. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ।
12. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, कानपुर।
13. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उ0प्र0, लखनऊ।
14. मुख्य वन संरक्षक, इकोडेवलेपमेंट, उ0प्र0, लखनऊ।
15. मुख्य वन संरक्षक, वन वर्धनिक, दक्षिणी क्षेत्र कानपुर।
16. मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबन्ध, उ0प्र0, लखनऊ।
17. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी (FCA), उ0प्र0, लखनऊ।
18. मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, झाँसी।
19. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पूर्वी, गोण्डा।
20. मुख्य वन संरक्षक, रूहेलखण्ड जोन, बरेली।
21. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
22. पर्यावरण शिक्षण केन्द्र (C.E.E), उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, 83 बाल विहार कालोनी, पिकनिक स्पॉट रोड, फरीदी नगर, लखनऊ (गैर–सरकारी संगठन)।
23. टर्टल सर्वाइवल एलाएन्स (T.S.A) डी 1/317, सेक्टर एफ, जानकीपुरम, लखनऊ (गैर–सरकारी संगठन)।
24. श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकुट (जिला स्तर पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधि)।
25. श्री जागन सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, पीलीभीत (जिला स्तर पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधि)।
26. श्री धनीराम, ग्राम भुसहर ऊँचवा, पोस्ट परसरामपुर, रजेहना, तुलसीपुर, बलरामपुर (आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधि)।

31/x/2023

(पी0पी0 सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य सचिव
कार्यपालक समिति, (उ0प्र0 कैम्पा), लखनऊ

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष (वन बल के प्रमुख), उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में उ0प्र0 कैम्पा कार्यपालक समिति की नवीं बैठक दिनॉक 30.10.2023 में उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्रसं	अधिकारी का नाम/पदनाम	मो0नं0	हस्ताक्षर
1-	सुधीर कुमार शर्मा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0		
2-	मनोज सिंह, APCCF/CEO, Campa	9452162054	
3-	[illegible] i/c Land & Highways J.C		
4-	उमेश यादव उपसचिव, नियोजन विभाग	9454412377	
5-	Hari Om Shukla Research Officer. Planning dep.	9454460900	
6-	DR. YOGESH PRATAP SINGH Dy Director/SMS (AF) AGRA.	9452702063	
7-	अरविन्द कुमार सिंह मुख्य वन संरक्षक/वन वर्धनिक कानपुर	9044844295	
8-	माया पाण्डेय वित्त नियंत्रक वन विभाग	8171224494	
9-	Indu Sharma APCCF Agra	9818973322	
10-	Arunima Singh TSAFI	9454850810	
11-	अजय कुमार मिश्र अनुसचिव, ग्राम्य विकास विभाग	9454413311	
12-	धनीराम आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि	8009924126	
13-	अभिषेक मिश्रा, GIS Nodal. UPRRDA, RD,	9452844051	
14-	टी०डी० सिंह (PMGSY)	9412065788	
15-	Apurva Shukla जनजाति विकास विभाग	8009278246	

क्रसं	अधिकारी का नाम/पदनाम	मो0नं0	हस्ताक्षर
16-	SK Zeeshan Ali Wildlife Institute of India, Dehradun	8267826436	[signature] 30.10.2023
17-	Dr. Surya Prasad Sharma	7895248369	[signature]
18-	Kalpana Singh Engineer Zilla Panchayat Pilibhit	7355616257	[signature] 30.10.23
19-	DIWAKAR KUMAR VASHISHTH DFO Aligarh	8383845025	[signature]
20-	Naveen Khandelwal DFO/DD Pilibhit Tiger Reserve	7839435120	[signature] 30/10/23
21-	Arvind Yadav DFO, Kaimoor W.L.D.	7839435098	[signature]
22-	आदर्श कुमार, DFO आगरा	7839435137	[signature]
23-	S. N. Mishra CCF Prayagraj	9415639828	[signature]
24-	Neeraj Kumar, CCF, Go-Lu	7839435037	[signature]
25-	Pramod Kumar Gupta CCF, Court Cases	7839435043	[signature]
26-	Nandlal Yadav Under Secretary	9454413932	[signature]
27-	Rajesh Kumar, Dy. Dir. F, A.D CST.UP	9721854658	[signature]
28-			
29-			
30-			